

## शिविर के माध्यम से बनाया जा रहा है गोमास्ता,अनुज्ञप्ति लाइसेंस

भिलाईनगर/ शहर के व्यापारियों को उनके मार्केट क्षेत्र में ही गोमास्ता , अनुज्ञप्ति लायसेंस बनाने के लिए निगम क्षेत्र में लगाये जा रहे शिविर में 64 अनुज्ञप्ति लायसेंस तथा 37 गोमास्ता लायसेंस बनाये गये हैं जिससे 60699 रुपये शुल्क राशि के रूप में जमा किया गया। आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर उड़नदस्ता द्वारा शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर किये जा रहे छापामार कार्यवाही के दौरान यह बात निगम के संज्ञान में आई कि व्यापारियों ने गोमास्ता लायसेंस तथा अनुज्ञप्ति लायसेंस की जानकारी के अभाव में आवेदन ही नहीं किया है उक्त परिस्थिति को देखते हुए आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि जोनवार तिथि एवं स्थल निर्धारित कर व्यापारियों के सुविधा के लिए उनके मार्केट क्षेत्र में ही शिविर लगाकर गोमास्ता , अनुज्ञप्ति लायसेंस बनाये साथ ही सम्पत्तिकर , जलकर, भू-भाटक की राशि जमा करने भी काउंटर लगायें। निर्देश के परिपालन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 मई से अलग-अलग जोन में 21 मई तक शिविर लगाकर नवीन लायसेंस बनाने तथा लायसेंस का नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाश गंगा युनिट कार्यालय में 8 एवं 9 मई को शिविर लगाया गया जिसमें 64 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के नवीन अनुज्ञप्ति लायसेंस बनाया गया जिससे 55862 रुपये शुल्क की राशि जमा की गई। इसी प्रकार 37 प्रतिष्ठानों के गोमास्ता लायसेंस के आवेदन पर 4837 रुपये जमा किये गये। शिविर में सम्पत्तिकर 119913 रुपये तथा जलकर 5970 रुपये एवं 1510 भू-भाटक की राशि प्राप्त हुई है।

11 मई को नेहरु नगर पूर्व एवं पश्चिम व्यवसायिक परिसर , स्मृति नगर मार्केट , जूनवानी रोड, सूर्या माल के लिए शिविर लगाया जायेगा तथा वैशाली नगर क्षेत्र के लिए 13 एवं 14 मई को सांस्कृतिक नगर वैशाली नगर में शिविर का आयोजन किया जायेगा जहां संबंधित क्षेत्र के व्यापारीगण अपने प्रतिष्ठान का नवीन गोमास्ता , अनुज्ञप्ति लायसेंस एवं लायसेंस की नवीनीकरण बनाये जाने के साथ ही सम्पत्तिकर , जलकर, भू-भाटक की राशि भी शिविर में जमा कर सकेंगे। शहर के व्यापारियों को जानकारी के लिए निगम के प्रचार वाहन से शिविर स्थल एवं तिथि की जानकारी का मुनादी भी कराया जा रहा है।

जनसम्पर्क अधिकारी

**”जल है तो कल है” ”जल ही जीवन है”**

